न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दर लाल बम्बोडा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—09 / 2019 (2019 / 00001) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लक्ष्मण आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भोजा आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—छगन आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—तुलछी पुत्री रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कंकु पुत्री रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मूली पत्नि रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हीरा मुतबन्ना गांगाराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—विष्णु कुमार आत्मज जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लोकेश कुमार आत्मज जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मीना कुमारी पुत्री जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मांगीलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मदनलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सोहनलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मोहनी बेवा किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—रोडु आत्मज खेमा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—रायमल आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—भीमा आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—जैता आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—हमीर आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1. सुनिल कुमार जैन — अधिवक्ता वादीगण
2. विकास चन्द्र— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 21.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 249 रकबा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 आराजी चाह खातेदार खेमा, आस्या, रामा, पिता डुंगा बलाई, गांगा पिता देवा जी

बलाई के नाम समान हक अर्थात प्रत्येक खातेदार का 1/4 हक व हिस्से के रूप दर्ज अभिलेख थी। उक्त साबिक आराजी संख्या 249 के नवीन आराजी संख्या 480 भु प्रबन्ध के दौरान कायम किये गये। प्रमाण में जमाबंन्दी संवत 2016 से 2019 व मिलान क्षेत्रफल की हमराह वाद पेश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 का पारिवारिक सजरा वाद पत्र के साथ संलग्न है जो इस वाद पत्र का अभिन्न अंग है। साबिक आराजी चाह संख्या 249 में निहित खातेदार गांगा आत्मज देवा बलाई के 1/4 हक व हिस्से को तत्कालीन राजस्व अधिकारियो द्वार त्रुटि वश जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 में विलोपित कर दिया गया, जो कानुनन अनुचित है। साबिक आराजी चाह संख्या 249 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 480 कायम किये गये, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्यार 42 संवत 2071 से 2074 में मृतक किशना आत्मज खेमा व रोडु आत्मज खेमा का सयुंक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा होते हुए भी उक्त राजस्व जमाबन्दी में मृतक किशना आत्मज खेमा के वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम 1/3 हिस्सा अलग–अलग गलत रूप से अंकन कर दिया गया। इसी प्रकार आस्या उर्फ आसु आत्मज डुंगा बलाई के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 का 1/4 हक व हिस्सा होते हुए भी इनके नाम 1/3 हक व हिस्सा का अंकन गलत रूप से कर दिया गया, जिसको दुरूस्त किया जाना कानुनन आवश्यक है। वादी संख्या 1 लगायत 6 मृतक रामा आत्मज डुंगा बलाई के वारिसान है तथा वादी संख्या 7 गांगा आत्मज देवा बलाई का गोदपुत्र है जिससे वर्तमान आराजी चाह संख्या 480 में वादी 1 लगायत 6 का सयुंक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा वादी संख्या 7 का 1/4 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 सयुंक्त रूप से 1/4 हक व हिस्से के साथ निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 उक्त चाह संख्या 480 का उपयोग उपभोग उक्त वर्णित हक व हिस्से अनुरूप मौके पर काश्त करते चले आ रही है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त जमाबन्दी में जिस प्रकार का अंकन वर्तमान में हो रहा है वह भी गलत अंकन है। जिससे उक्त प्रकरण में घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 1 लगायत 6 सयुंक्त रूप से वर्तमान आराजी चाह संख्या 480 में 1/4 हक व हिस्सा व वादी संख्या 7 का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। वादीगण अपने अपने उक्त हक व हिस्से अनुसार मौके पर उक्त चाह का उपयोग उपभोग करते चले आ रहै है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी आराजी चाह संख्या 480 में वादीगण का नाम राजस्व अधिकारियो की त्रुटि से अंकन करना रह गया तथा उक्त आराजी चाह की वर्तमान जमाबन्दी में जिस प्रकार का हक व हिस्से को लेकर अंकन हो रहा है वह भी अंकन गलत है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 उक्त गलत अंकन को लेकर नाजायज लाभ हासिल करने पर उतारू है तथा वादीगण के हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में भी बाधा पहुचाने को तत्पर हो रहे है जबकि उक्त आराजी चाह में वादीगण का हक हिस्सा आरम्भ से ही निहित है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा कह डिक्री से पाबंध किया जाना भी परम आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वर्तमान आराजी चाह संख्या 480 को रहन बय, बक्षीस या अनय कीसी को हस्तान्तरित नही करे तथा वादीगण के हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न अन्य से करावें।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 ने वादीगण को उक्त आराजी चाह संख्या 480 में नाम नही होने बाबत् दिनांक 21.01.2019 को धमकी देते हुए उक्त आराजी चाह को रहन बय, बक्षीस व वादीगण के हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की नाजायज कोशिश की सिसे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की नोईयत उत्पन्न हुई है। बिनाय वाद दिनांक 21.01.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम छातोल तहसील रायपुर की आराजी संख्या 480 रकबा 0.01 हैक्ट. गै0मु0 चाह को वादी संख्या 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा तथा वादी संख्या 7 का 1/4 हक व हिस्से के खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः ग्राम छातोल तहसील रायपुर की आराजी संख्या 480 रकबा 0.01 हैक्ट. गै0 मु0 चाह को वादी संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा तथा वादी संख्या 7 का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इनद्राज दुरस्त करते हुए श्री जयराम, मांगीलाल, मदनलाल, सोहनलाल पिता किशना मोहनी बेवा किशना का 1/3 के बजाय 1/8 हिस्सा व रोडु पिता खेमा का 1/3 के बजाय 1/8 हिस्सा व रायमल, भीमा, हीरा, जेता हमीर पिता आसु का 1/3 के बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज कर तद्नुसार इन्द्रात दुरुस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.11.2019

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

<u>मूल वाद में डिक्री</u>

(आदेश 20 रूल्य 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दर लाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—09 / 2019 (2019 / 00001) प्रार्थना पत्र

उनवान

1—लक्ष्मण आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भोजा आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—छगन आत्मज रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—तुलछी पुत्री रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—कंकु पुत्री रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मूली पत्नि रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—हीरा मुतबन्ना गांगाराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—विष्णु कुमार आत्मज जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर
2—लोकेश कुमार आत्मज जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर
3—मीना कुमारी पुत्री जेराम बलाई ना0बे0 माता संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर
4—संतोकी देवी पत्नि जैराम बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मांगीलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मदनलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सोहनलाल आत्मज किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मोहनी बेवा किशना बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—रोडु आत्मज खेमा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—रायमल आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—भीमा आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—जैता आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—हमीर आत्मज आस्या उर्फ आसु बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण स्वीकार किया जाता है कि अतः ग्राम छातोल तहसील रायपुर की आराजी संख्या 480 रकबा 0.01 हैक्ट. गै0 मु0 चाह को वादी संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा तथा वादी संख्या 7 का 1/4 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में इनद्राज दुरस्त करते हुए श्री जयराम, मांगीलाल, मदनलाल, सोहनलाल पिता किशना मोहनी बेवा किशना का 1/3 के बजाय 1/8 हिस्सा व रोडु पिता खेमा का 1/3 के बजाय 1/8 हिस्सा व रायमल, भीमा, हीरा, जेता हमीर पिता आसु का 1/3 के बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज कर तद्नुसार इन्द्रात दुरूस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

28.11.2019

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.04 12:09:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: